No. PER (AP-III)-F (4)-2/2010
Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

*****

Dated: Shimla-171002, the 29th March, 2011

From

The Principal Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

To

1. All the ACS/Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Himachal Pradesh
2. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh
3. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
4. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.

Subject: - Minutes of the meeting of J.C.C. held on 05-03-2011 at 11.00 A.M. with the representative of HP NGO's Federation under the chairmanship of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

.....

Sir,

I am directed to say that the meeting of JCC was held on 05/03/2011 at 11:00 AM with the representatives of the HP NGO's Federation under the Chairmanship of the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. The minutes of the aforesaid meeting are forwarded for information and necessary action.

You are therefore, requested to take requisite action in respect of item(s) discussed in the above mentioned meeting. Further compliance/action taken report on all the items pertaining to your Departments discussed in this meeting may be furnished to this Department.

Yours faithfully,

Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above Dated: Shimla, the 29th March, 2011

Copy alongwith a copy of the minutes of J.C.C. meeting held on 05-03-2011 is forwarded for necessary action to: -

1. Sh. Shri Prem Singh Bharmoria, President, H.P. NGO's Federation, HPPWD Division, Hamirpur, Himachal Pradesh.
2. Sh. Purshotam Guleria, Secretary General, H.P. NGO's Federation, O/o CDPO Office Solan, Himachal Pradesh with 100 spare copies.
3. The Section Officer (Fin. Regulation) with 10 spare copies.
4. 75 spare copies.

Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

*****

दिनांक 5 मार्च, 2011 को हि0प्र0 संयुक्त सलाहकार समिति की हि0प्र0 अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

विभागीय स्तर से : अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्ष।

कर्मचारी स्तर से : अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि।

सर्वप्रथम, प्रधान सचिव (कार्मिक) हि0प्र0 सरकार ने मुख्य सचिव व समस्त प्रशासनिक सचिवों/अधिकारियों, श्री प्रेम सिंह भरमौरिया, प्रधान, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, श्री पुरषोतम गुलेरिया और श्री सुरेन्द्र ठाकुर, महासचिव, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व महासंघ के अन्य पदाधिकारियों का बैठक में पधारने पर स्वागत किया।

श्री प्रेम सिंह भरमौरिया, प्रधान, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव महोदया से कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह कियाः–

1. 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।
2. पंजाब वेतन आधार पर 4–9–14 का कार्यकाल पूर्ण करने पर टाईम स्केल सितम्बर, 2006 से पहले हि0प्र0 के कर्मचारियों को दिया जाये।
3. सेवा निवृति आयु सीमा 60 वर्ष की जाये।
4. आवास भत्ता और अन्य भत्तों को संशोधित वेतनमान के आधार पर बढ़ाया जाये।
5. नियतन चिकित्सा भत्ता ₹ 500/- प्रतिमास की दर से हि0प्र0 सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किया जाये।
6. लम्बित चिकित्सा बिलों तथा यात्रा भत्तों का सभी कर्मचारियों विशेषकर लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में तत्काल भुगतान किया जाये।
7. विभागीय संघों की बैठकें सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा निरन्तर अन्तराल पर बुलाई जाये।
8. विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सही समय पर की जाये।
9. लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाये।

10. चिकित्सा भत्तों के भुगतान बारे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वित्त विभाग द्वारा एक स्पष्ट एवं ठोस नीति बनाई जाये।

मुख्य सचिव महोदया ने अपने अभिभाषण में समस्त प्रशासनिक सचिवों/अधिकारियों, श्री प्रेम सिंह भरमौरिया, प्रधान, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, श्री पुरषोतम गुलेरिया और श्री सुरेन्द्र ठाकुर, महासचिव, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व महासंघ के अन्य पदाधिकारियों का बैठक में पधारने पर स्वागत किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि कर्मचारी वर्ग सरकार का एक अभिन्न अंग है और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनकी कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा से ही हिमाचल प्रदेश चहूँमुखी विकास की ओर अग्रसर है। हिमाचल को यदि आज देश में पर्वतीय विकास का अग्रणी माना जाता है तो इसमें कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्य सचिव महोदया ने आशा व्यक्त की कि आज की यह बैठक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार तथा उनके समाधान में सहायक सिद्ध होगी तथा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जायज मांगों पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यद्यपि, वर्तमान में प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है। मुख्य सचिव महोदया ने सभी प्रशासनिक सचिवों/विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि निरन्तर समय के अन्तराल पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जायें तथा सम्बन्धित कर्मचारी संघों के साथ समस्याओं के समाधान के लिये भी बैठकों का आयोजन समय–समय पर किया जाये। इसके पश्चात् उन्होंने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से विभागीय कार्यकुशलताओं में दक्षता लाने पर जोर दिया।

तदोपरान्त मद्दों पर कमवार चर्चा शुरू हुई:–

1. (i) Providing of time scale after completion of 4-9-14 years of services on Punjab Pattern and as is given to Himachal Pradesh State Services and Engineering Staff.

प्रधान सचिव (वित्त) ने कहा कि 01–01–2006 से संशोधित वेतनमान में ए0सी0पी0एस0 स्कीम (4, 9, 14) का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व संशोधित वेतनमान की ए0सी0पी0एस0 स्कीम 01–01–2006 से समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार वेतनमान से सम्बन्धित पंजाब में प्रचलित वेतनमानों को लागू करती है। जहां तक भत्तों का सम्बन्ध है राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करती है परन्तु वर्तमान में राज्य की विकट वित्तीय स्थिति के मध्यनज़र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। पंजाब में भी संशोधित वेतनमानों में ए0सी0पी0एस0 स्कीम का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि राज्य सरकार इस संबंध में पंजाब सरकार की नई नीति जारी होने पर ही विचार करने पर सक्षम होगी।

प्रधान, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रस्तुत किया कि पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को ए0सी0पी0एस0 स्कीम (4, 9, 14) का प्रावधान सितम्बर, 2006 से पहले पूर्व-संशोधित वेतनमानों में प्रावधित था और आग्रह किया कि राज्य सरकार भी इसी आधार पर यह लाभ अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवाये।

मुख्य सचिव महोदया ने महासंघ का आश्वासन दिया कि यह मामला 30 अप्रैल तक मामले के पूर्ण तथ्यों सहित मन्त्रीमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(वित्त विभाग)

(ii) Enhancement of superannuation age upto 60 years as is applicable to Central Govt. Employees as the employees of Himachal Pradesh are governed by the Central Pension Rules.

मुख्य सचिव महोदया ने कहा कि इस प्रस्ताव में उचित समय पर विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

**(वित्त विभाग)**

(iii) Liabilities of pending T.A. and Medical Bill of previous Govt. be cleared.

प्रधान सचिव (वित्त) ने सूचित किया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लिये SOE Medical Reimbursement शीर्ष में वर्ष 2010-2011 में ₹ 50.49/- करोड़ का प्रावधान किया गया था जबकि इसी वर्ष यह राशि संशोधित होकर ₹ 62.19/- करोड कर दी गई।

SOE Travel Expenses शीर्ष में वर्ष 2010-2011 में ₹ 26.96/- करोड़ का प्रावधान किया गया था जबकि इसी वर्ष यह राशि संशोधित होकर ₹ 62:19/- करोड कर दी गई।

यह भी अवगत करवाया गया कि विभागों से प्राप्त अतिरिक्त बजट प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विभागों की आवश्यकतानुसार लम्बित दावों के भुगतान हेतु बजट प्रावधित किया गया। वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लिए अतिरिक्त बजट प्रदान करने बारे कोई भी मामला वित्त विभाग में लम्बित नहीं है।

महासंघ के प्रतिनिधियों ने अवगत करवाया कि विभिन्न विभागों मुख्यतः लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्व इत्यादि में यात्रा भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान बहुत लम्बे समय से नहीं हुआ है।

मुख्य सचिव महोदया ने सभी प्रशासनिक सचिवों/विभागाध्यक्षों, मुख्यतः प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग) एवं प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)को लम्बित यात्रा भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान 30 अप्रैल, 2011 तक करने के आदेश दिये।

(सभी विभाग)

2. **Providing of Supporting Staff according to norms in all new Institutions/Offices/Projects:-**

Creation of Posts in number of Departments/ New Institutions/Offices opened since 1990 on-wards no provisions of supporting staff have been made resulting in extra burden on the existing staff. In some of the Departments new projects have been launched and are being implemented with the existing staff whereas the provisions for officers have only been made ignoring the requirement of supporting staff. This has caused resentment amongst the Non-gazetted employees. In addition to this, due to re-organization in some of the Department extra units have been created without providing supporting staff for the same. Details of requirement of the extra posts will be furnished by the Departmental Association through their respective HOD's.

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने अवगत करवाया कि उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के बहुत से पद सृजित किये हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग संघ के प्रतिनिधियों ने उन संस्थानों के लिये जहां चार या इससे अधिक व्यवसाय (Trades) चल रहे हैं वहां पर प्रधानाचार्य का पद सृजित करने की मांग की और साथ ही उप–प्रधानाचार्य का पद सृजित करने बारे संभावनायें तलाशने का भी आग्रह किया।

महासंघ के प्रतिनिधियों ने सभी विभागों मुख्यतः लोक निर्माण, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ईत्यादि में सहायक स्टॉफ (Supporting Staff) प्रदान करने की मांग की।

मुख्य सचिव महोदया ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को विभागीय संघों के साथ 30 अप्रैल, 2011 से पहले बैठक करने का निर्देश दिया।

(सभी विभाग)

3. **Creation of additional post of Sr. Assistant in BMO Office in Health Department/12 posts of Gr.-I Supdt. at CMO Office/ZH/RH.**

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने अवगत करवाया कि इस सन्दर्भ में मामला वित्त विभाग से उठाया गया था जो अनुमोदित नहीं हुआ। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग ने यह मामला 17 जनवरी, 2011 को पुनः वित्त विभाग को भेजा है।

मुख्य सचिव महोदया ने सलाह दी और निर्देश दिये कि वित्त विभाग मामले में शीघ्र अति–शीघ्र विचार करें।

(स्वास्थ्य / वित्त विभाग )

4. One time Relaxation in R&P Rules to the post of Supdt Grade-I in all Departments is required to be provided to those who have not completed three years qualifying services as Supdt Grade-II where the posts of Supdt. Gr-I are lying vacant/ available and required.

मुख्य सचिव महोदया ने सलाह दी कि विभागीय संघ इस सम्बन्ध में प्रस्ताव अपने–अपने प्रशासनिक सचिवों को सौंपेंगे ताकि कार्मिक विभाग इन प्रस्तावों का परीक्षण कर स्थिति का समग्र निर्धारण (Overall assesment) कर सके।

5. Providing of 100% quota to Sr. Assistant for the posts of TWO's in the Welfare Department.

चर्चा उपरान्त मामला समाप्त किया गया।

6. Creation of post of Supdt. Gr-II, Sr. Assistant & Clerk in each Distt in all Mining Offices of Industries Department.

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सूचित किया कि खनन कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड–2 और वरिष्ठ सहायक के पदों के सृजन बारे प्रस्ताव वित्त विभाग से उठाया गया था परन्तु इस अनुमोदित नहीं किया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिया कि उद्योग विभाग मामला पूर्ण औपचारिकताओं सहित पुनः वित्त विभाग से उठायेगा।

(उद्योग / वित्त विभाग )

7. Creation of posts of Mining Inspector/Assistant Mining Inspector with four Mining Guards in all Blocks in H.P.

चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त किया गया।

8. Creation of field Kanongo i.e. One field Kanongo on Four Patwaris.

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व) ने सूचित किया कि मामले पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02–12–2010 को चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि पटवारियों के कार्य का पुर्नमूल्यांकन तथा युक्तिकरण प्रकिया अलग से की जा रही है। इसलिये प्रस्ताव लम्बित रखा गया है।

मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिया कि इस मामले में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व) विभागीय संघों से उनकी मांगों पर चर्चा करने हेतु बैठक आयोजित करेंगे।

(राजस्व विभाग )

9. Creation of new Patwar Circles in accordance with the norms laid down in the H.P Land Record Manual

वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने सूचित किया कि यह मामला वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

(राजस्व विभाग )

10. Creation of Post of Administrative Officer in all the Directorate/Head of Offices.

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सभी विभागीय संघ इस सन्दर्भ में अपने–अपने प्रस्ताव सरकार को सौंपेंगे और सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव उन संघों के साथ इस मांग पर चर्चा करेंगे।

(सभी विभाग )

11. Creation of legal Cell in all the Directorates.

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सभी विभागीय संघ इस सँन्दर्भ में अपने–अपने प्रस्ताव सरकार को सौंपेंगे और सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव उन संघों के साथ इस मांग पर चर्चा करेंगे।

(सभी विभाग )

12. Creation of I&PH Circle at Solan.

चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त किया गया।

13. <u>FINANCIAL DEMANDS</u>:-

(i) Enhancement of Capital Allowance from Rs. 175/- to Rs.500/-

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर उचित समय आने पर उपयुक्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

(वित्त विभाग)

(ii) Enhancement of Fixed Medical Allowance from Rs. 100/- to 500/-

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह मामला अप्रैल, 2011 अन्त तक मन्त्रीमण्डल के विचारार्थ रखा जाएगा।

(वित्त विभाग)

(iii) Enhancement of HCA to the employees of Himachal Pradesh.

संघ नें दलील दी कि HCA वर्ष, 2001 में प्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों के लिये ₹ 45/- व ₹ 50/- निर्धारित किया गया था, जबकि आज 7, 8 वर्ष बीत जाने के बाद कीमतें आसमान को छू रही हैं और रूपये का अवमूल्यन हो गया है ऐसी स्थिति में HCA की वर्तमान दर कम से कम दोगुनी करना न्यायोचित है।

मुख्य सचिव महोदया ने आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित समय पर विचार किया जायेगा।

(वित्त विभाग)

(iv) Enhancement of HRA at Punjab Pattern.

मुख्य सचिव महोदया ने सूचित किया कि इस मामले में उचित समय पर विचार किया जायेगा।

(वित्त विभाग)

(v) Enhancement of Winter allowance/Tribal allowance.

मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिये कि प्रधान सचिव (वित्त) इस मांग का परीक्षण कर उचित निर्णय लेंगे।

(वित्त विभाग)

(vi) Providing of Capital Allowance at par with Shimla based employees to the employees posted at Dharamshala, Distt. Kangra.

मुख्य सचिव महोदया ने सूचित किया कि इस मामले में उचित समय पर विचार किया जायेगा।

(वित्त विभाग)

(vii) Providing of HCA to the Employees at Chamba & Chopal at par with Shimla and grant of Project allowance to the employees of Chamba Distt.

चर्चा के दौरान यह पाया गया कि इस मांग का कोई औचित्य नहीं है अतः इसे अस्वीकार किया गया।

(वित्त विभाग)

14. **Up-gradation of the posts in different Departments:-**

Representations have been received from various Departments regarding stagnation in various cadres and requirement of up-gradation of posts due to creation of new offices and re-organization of units. The demand of the Departmental Associations being genuine, the Federation demands that posts be upgraded.

विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित प्रशासनिक सचिव अपने अधीन विभागीय संघों के साथ चर्चा हेतु बैठक का आयोजन करेंगे और 30 अप्रैल, 2011 से पहले प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे।

(सभी विभाग )

15. **Regularization of employees appointed on contract basis.**

महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव महोदया से अनुबन्ध/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण बारे समरूप नीति बनाने का आग्रह किया।

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सूचित किया कि अनुबन्ध आधार पर तैनात कर्मचारियों को जिन्होंने 31–03–2010 को 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है को नियमित करने बारे निर्देश दिनांक 7 मई, 2010 को जारी कर दिये हैं।

16. **Providing of regular employment to the Wards of deceased Govt. employees while in Govt. Service.**

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सूचित किया कि सरकार की वर्तमान नीति अनुसार सभी नियुक्तियां (करूणामूलक आधार पर दी जा रही रोजगार सहायता सहित) अनुबन्ध आधार पर की जा रही हैं।

महासंघ के प्रतिनिधियों ने यह भी मांग की कि करूणामूलक आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाने बारे जो वार्षिक आय सीमा एक लाख रूपये हैं को बढ़ाकर दो लाख रूपये किया जाये।

विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग मामले का परीक्षण कर 30 अप्रैल, 2011 से पहले उचित निर्णय लेगा।

(वित्त विभाग)

17. **Filling of all vacant posts of Class-III and IV employees of different Departments.**

मुख्य सचिव महोदया ने सूचित किया कि सरकार श्रेणी– III और IV के कार्यकारी रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरने हेतु प्रयासरत है।

18. **Finalization of R&P Rules of Different Departments.**

मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिये कि सभी प्रशासनिक विभाग उन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में संशोधन करने से पूर्व जहां कर्मचारियों का हित प्रभावित हो, विभागीय संघों से विचार करके ही आगामी कार्रवाई करें।

(सभी विभाग )

19. **Restoration of order to fill up the post of Hospital Administrator at IGMC/RPMC Tanda as per old R&P rules from Ministrial Staff.**

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने सूचित किया कि अस्पतालों में कार्यप्रणाली के बदलाव के कारण इन पदों को चिकित्सा विज्ञान में तकनीकी/विशेषज्ञों से भरे जाने की आवश्यकता है, इसलिये इन पदों को मिनिस्टेरियल स्टाफ से भरना संभव नहीं है।

महासंघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह पद आज तक मिनिस्टेरियल काडर से ही भरे जाते रहे हैं और भविष्य में भी यथावत् स्थिति कायम रखी जाये जिससे मिनिस्टेरियल काडर के हितों की अनदेखी न हो।

चर्चा उपरान्त मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिये कि प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) सम्बन्धित विभागीय संघ से विचार करके ही आगामी कार्रवाही करें ताकि मिनिस्टेरियल काडर का हित प्रभावित न हो।

( स्वास्थ्य विभाग )

20. **Protection of all Junior Assistant affected due to notification dated 31/5/2001.**

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सभी विभागाध्यक्ष इस मामले का परीक्षण कर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे।

(सभी विभाग )

21. **Infection Allowances to Staff Nurses and Para-medical staff deployed on indoor bed side services.**

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभागीय संघ इस मामले में विस्तृत प्रस्ताव प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को प्रस्तुत करेंगे।

( स्वास्थ्य विभाग )

22. **Change of Nomenclature of the Post of Ayurvedic Pharmacist on the basis of ACP Scheme i.e. 8, 16, 24. After 8 years Ayurvedic Pharmacy Officer, 16 years Sr. Ayurvedic Pharmacy Officer, after 24 years Chief Ayurvedic Pharmacy Officer, Gr-II. and Lab Technical (Aurvedic) as Senior Lab-Technical at the analogy of Health Deptt.**

प्रधान सचिव (आयुर्वेद) ने सूचित किया कि मामला सक्रिय रूप से विभाग में विचाराधीन है तथा मामले में संबंधित विभागीय संघ से अलग से चर्चा की जायेगी।

( आयुर्वेद विभाग )

23. Rural Health Allowances to Ayurvedic Pharmacist on the analogy of Ayurvedic Medical Officers.

प्रधान सचिव (आयुर्वेद) ने सूचित किया कि मामला सक्रिय रूप से विभाग में विचाराधीन है तथा मामले में संबंधित विभागीय संघ से अलग से चर्चा की जायेगी।

( आयुर्वेद विभाग )

24. Construction of staff quarters at State/Distt. and Block level and maintenance thereof be made through PWD.

मुख्य सचिव महोदया ने निदेश दिये कि लोक निर्माण विभाग स्टाफ क्वारटर के रख–रखाव के लिये निरन्तर उचित कार्रवाई अमल में लायेगा और पुराने जर्जर भवनों को गिराकर नये भवनों का निर्माण करेगा।

( लोक निर्माण विभाग )

25. Writing, reviewing/accepting of ACRs of various Govt. employees as per schedule fixed by the Govt.

मुख्य सचिव महोदया ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के बारे सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अन्तर्गत् कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई अधिकारी इससे संबंधित सरकार के नीति/निर्देशों का अनुसरण नहीं करेगा तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा ACR Status हर विभाग द्वारा अपनी website पर सूचना देगा।

(सभी विभाग )

26. Providing of Uniform to Pump Operator in I&PH Department.

चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त किया गया।

27. Construction of NGO's Bhawan in remaining Distts. as well as Block level and Federation Bhawan at Shimla.

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संबंधित जिलाधीश लम्बित मामलों का विस्तृत परीक्षण कर प्रस्ताव सरकार के परीक्षण हेतु भेजेंगे।

(सभी जिलाधीश )

28. Three tier promotion to every employees category.

चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त किया गया।

29. Bringing the serviees of Part time workers on daily wage basis in all Departments.

यह सूचित किया गया गया कि मामला सरकार के विचाराधीन है तदानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

( कार्मिक विभाग )

30. Matriculate/+2 Beldars/Forest Workers and other Class-IV employees in different Departments be promoted to higher posts as per eligibility on the basis of their technical qualification/background.

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ इस सन्दर्भ में विस्तृत प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा।

31. Providing of Govt. accommodation to the staff deployed on essential services

यह सूचित किया गया कि सरकारी आवास आवश्यक सेवाओं पर लगे कर्मचारियों को मकान आबंटन नियमों के आधार पर दिये जा रहे हैं।

32. Cabinet decisions and Chief Minister announcements be implemented as per commitment without procrastination.

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सूचित किया कि मन्त्रीमण्डल के निर्णयों का संबंधित विभागों में तत्काल रूप से 15 दिनों में आगामी कार्रवाही हेतु भेज दिया जाता है और समय–समय पर इस सन्दर्भ में विभागों से रिपोर्ट मंगवाई जाती है जिसकी स्वयं मन्त्रीमण्डल द्वारा समीक्षा की जाती है।

33. Uniform allowance to female health worker and female health supervisor be enhanced as per analogy of staff nurse /ward sister.

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने सूचित किया कि मामला सरकार के विचाराधीन है तथा तदानुसार आगामी कार्रवाही की जायेगी।

( स्वास्थ्य विभाग )

34. FTA be given at revised rate in Forest, Health, Revenue, R&D and Judiciary departments etc.

विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग मामले का परीक्षण कर उचित निर्णय लेगा।

(वित्त विभाग)

35. Pay anomaly of Craft Instructors in ITI's in the department of Technical Education be removed w.e.f. 1-1-1986.

सचिव (तकनीकी शिक्षा) ने सूचित किया कि मामला माननीय हि0प्र0 उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

विभागीय संघ के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि उक्त मामले में हि0प्र0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिया था और अब सरकार ने इस निर्णय के विरूद्ध माननीय हि0प्र0 उच्च न्यायालय में अपील दायर की है जो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने मुख्य सचिव महोदया से अनुरोध किया कि यह अपील

हि0प्र0 उच्च न्यायालय से वापिस ली जाये तथा उन्हें सभी देय लाभ माननीय हि0प्र0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के मध्यनज़र दिये जायें।

मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिये कि इस मामले का विधि विभाग द्वारा जारी सरकार की नई मुकद्मेंबाजी नीति के अन्तर्गत् परीक्षण किया जाये तथा तदानुसार कार्रवाई की जाये।

(तकनीकी शिक्षा विभाग)

36. One time relaxation in qualification be given to Class-IV employees for promotion to Class-III.

महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव महोदया से आग्रह किया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक के पद पर पदोन्नति बारे दस जमा दो की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की शर्त को दिनांक 14–08–2008 के बाद सेवा में नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर ही लागू की जाये।

मुख्य सचिव महोदया ने यह आश्वस्त किया कि मामला सरकार के समक्ष निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

( कार्मिक विभाग )

37. New formation/amendments in R&P Rules of various Departments in consultation with concerned associations.

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सूचित किया कि इस सन्दर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा पत्र संख्या Per(AP)-C-f(4)-1/2002-Loose दिनांक 22 अगस्त, 2002 को निर्देश पहले ही जारी किये गये हैं।

38. Restoration of LTC facility.

चर्चा उपरान्त मद्‌द को समाप्त किया गया।

39. NPA to be given to Veterinary pharmacists and to all para-medical staff in Health Department.

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पशुपालन विभाग मामले का पुनः परीक्षण करेगा।

( पशुपालन विभाग )

40. Zareeb-kass working in settlement be promoted as Class-III employees (Patwaries).

चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) मामले का परीक्षण करेंगी।

( राजस्व विभाग )

41. Settlement office be shifted from Dharmashala either to Hamirpur or Mandi where settlement is in operation at present.

चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त किया गया।

42. Opening of Printing and Stationery depots in three places in Himachal Pradesh i.e. Hamirpur, Dharamshala and Mandi.

प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ने सूचित किया कि धर्मशाला और मण्डी में मुद्रण एवं लेखन के डिपो खोलने बारे मामले को मन्त्रीमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था परन्तु मामले में मन्त्रीमण्डल द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

महासंघ के प्रतिनिधियों द्वारा आग्रह किया गया कि सरकार लेखन सामग्री को प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध करवाने हेतु कोई ठोस नीति बनाये।

मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिये कि सभी विभाग लेखन सामग्री को अपने अधीन सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवाने हेतु दो महीने के भीतर ठोस नीति बनायेंगे।

( सभी विभाग )

43. Creation of 45 posts of Senior Assistant in Ayurveda Department at S.D.A. M.O. level and 75 post of Senior Assistant at B.M.O. office level in Health Department.

यह सूचित किया गया कि मामले को सरकार द्वारा विचारा गया परन्तु अत्यधिक वित्तीय दायित्व के कारण मामला सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया।

44. Creation of new patwar circles in revenue department and creation of posts of Senior Assistant at Sub Tehsil level.

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व) ने सूचित किया कि मामले पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 02–12–2010 को चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि पटवारियों के कार्य का पुर्नमूल्यांकन तथा युक्तिकरण प्रकिया अलग से की जा रही है। इसलिये प्रस्ताव लम्बित रखा गया है।

( राजस्व विभाग )

45. Special casual leave to the office bearers of Himachal Pradesh Police Employees Welfare Association as per the norms.

मुख्य सचिव महोदया ने यह सूचित किया कि पुलिस सेवाओं के संघों के लिये अलग से नियम प्रावधित हैं तथा इस मांग का निपटारा इस स्तर पर करना तर्कसंगत नहीं होगा।

46. Revoking of suspension of Smt. Vinod Bala, Slt., Blood Bank, Tanda Medical College, and other cases of victimization, if any.

चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त किया गया।

47. Ministerial/paramedical staff be provided at medical college Tanda at par with IGMC.

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) ने सूचित किया कि विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

( स्वास्थ्य विभाग )

48. Change of designation of Lab attendant to Lab Assistant in education department.

प्रधान सचिव (शिक्षा) ने सूचित किया कि प्रयोगशाला परिचर का पदनाम प्रयोगशाला सहायक करना प्रशासनिक तौर पर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों श्रेणियों के वेतनमान अलग हैं।

( शिक्षा विभाग )

49. Uniform and special allowance be given to Drivers at par with Sectt. Drivers.

मुख्य सचिव महोदया ने प्रधान सचिव (वित्त) से मामले का परीक्षण करने का आग्रह किया।

( वित्त विभाग )

50. Directorates be shifted to different parts of Distt. of the State.

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सूचित किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

51. Science teacher be given two special increments after 15 years of service.

प्रधान सचिव (शिक्षा) ने सूचित किया कि मामला विभाग के विचाराधीन है। मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिये कि मामले को अतिशीघ्र निपटाया जाये।

( शिक्षा विभाग )

52. Special financial incentives be given to the employees serving in tribal area as per analogy of Doctors.

मुख्य सचिव महोदया ने सूचित किया है कि यह मांग तर्कसंगत न होने के कारण सरकार को स्वीकार्य नहीं है।

53. 15% quota may be enhanced upto 30% in respect of Work Inspector and Surveyors in PWD and I&PH while promoting them as Junior Engineer.

मुख्य सचिव महोदया ने निर्देश दिया कि संबंधित विभागीय सचिव मामले का परीक्षण करेंगे।

( लोक निर्माण / सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग )

54. Departmental Association meeting with Principal Secretaries/Secretaries/ Directors be convened regularly after 3 months as Govt. norms and guidelines- if not convened action thereof.

मुख्य सचिव महोदया ने यह निर्देश दिए कि कार्मिक विभाग इस सन्दर्भ में सभी विभागों को सम्बन्धित विभागीय संघों के साथ 30 अप्रैल, 2011 से पहले बैठक बुलाने हेतु निर्देश जारी करेगा।

( कार्मिक विभाग )

55. **Increase in the age limit from 40 to 45 years for S.A.S. as per analogy of recruitment age in H.P. Govt. services.**

मुख्य सचिव महोदया ने प्रधान सचिव (वित्त) को मामले का परीक्षण करने तथा तदानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिये।

( वित्त विभाग )

56. **Adhoc, contractual and daily paid period of services should be counted for pensionery benefits etc.**

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार 1972 से अपने कर्मचारियों पर भारत सरकार द्वारा प्रचलित पैंन्शन नियमों को लागू करती है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें पैंन्शन या सेवा निवृति लाभ के लिये आरम्भ में तदर्थ, अनुबन्ध, दैनिक आधार पर नियुक्तिकाल को गणना में लिये जाने का प्रावधान हो।

57. **Redesignation of Excise Inspector to A.E.T.O. after completion of 8 years services.**

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) मामले का परीक्षण कर उचित कार्रवाई करेंगे।

( आबकारी एवं कराधान विभाग )

58. **Relaxation of condition of agriculturist for the purchase of land and house in HP be given to Class-III and IV employees of HP Government as per analogy of SC, ST, Physically handicapped persons etc.**

प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सूचित किया कि ऐसा कोई भी प्रावधान हि0प्र0 लैन्ड मैनुअल में प्रावधित नहीं है।

श्री पुरषोतम गुलेरिया, महासचिव, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव का बैठक आयोजित करने के लिये धन्यवाद प्रकट किया तथा उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का सहयोग देने बारे सरकार को आश्वस्त किया। श्री प्रेम सिंह भरमौरिया ने सभी कर्मचारियों से अपनी सेवायें निष्ठापूर्ण तरीके से प्रदान करने का आग्रह किया।

बैठक सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई।

मनीषा नंदा

प्रधान सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

*****